भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्नय सं्या 2548
04 अगस्त, 2021 को उत्तार के लिए

रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना

2548. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत रक्षा उपकरण के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है/उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन कदमों/उपायों के परिणामस्वरूप अगले तीन वर्षों में देश के रक्षा आयात में कमी आने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार के द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान रक्षा क्षेत्र में किए गए आयातों और निर्यातों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तडर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ङ): एक विवरण संलग्न है।

रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के बारे में लोक सभा में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2548 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार ने देश में रक्षा उपकरण के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलों की शुरूआत की है और सुधार किए हैं जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता कम होगी। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता देना ; कुल 209 मदों की दो 'सकारात्मक स्वदेशी सूचियों ' की अधिसूचना जिसके लिए उनके समक्ष इंगित समय सीमा से आगे आयात पर प्रतिबंध रहेगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण ; स्वचालित रूट के तहत 74% एफडीआई की अनुमति देते हुए एफडीआई नीति का उदारीकरण ; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्टअप्स और एमएसएमई को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता (आईडीईएक्स) योजना हेतु नवाचारों की शुरूआत; "सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता)" आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नामक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरूआत करना ; हायर मल्टीप्लायर्स निर्धारित करके रक्षा विनिर्माण हेतु निवेश आकृष्ट करने और प्रौद्योगिकी के अंतरण पर जोर देने के साथ ऑफसेट पॉलिसी में सुधार; उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू दोनों राज्यों में एक-एक रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना शामिल है।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू अधिप्राप्ति हेतु आवंटन में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि की गई है और यह सैन्य आधुनिकीकरण हेतु आवंटित धनराशि का लगभग 64.09% अर्थात 71,438.36 करोड़ रु. नियोजित है।

इसके अलावा आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी), 09 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (पीएसयू), 6 अन्य पीएसयू और रक्षा मदों का विनिर्माण करने वाली 37 निजी कंपनियों का वर्ष-वार वार्षिक टर्नओवर "मेक इन इंडिया" को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव को दर्शाता है। इन यूनिटों के वार्षिक टर्नओवर का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	कुल मूल्य करोड़ रू. में
2016-2017	74054
2017-2018	78820
2018-2019	81121
2019-2020	78569
2020-2021	84694

(घ) और (ङ): सरकार द्वारा स्वदेशीकरण के लिए उठाए गए कदमों से आयात प्रतिस्थापन होने की संभावना है। रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) द्वारा रक्षा उपकरण (पूंजीगत और राजस्व दोनों) की अधिप्राप्ति का विवरण, जो आयातों में कमी को दर्शाता है, निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	**अधिप्राप्ति पर कुल व्यय (पूंजीगत और राजस्व दोनों)**	**घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति (पूंजीगत और राजस्व दोनों) पर व्यय**	**घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति (पूंजीगत और राजस्व दोनों) पर व्यय का प्रतिशत**
2018-2019	93474	50500	54.0
2019-2020	108340	63722	58.8
2020-2021	139341	88632	63.3

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) द्वारा विदेशी स्रोतों से की गई रक्षा उपकरण (पूंजीगत और राजस्व दोनों) की अधिप्राप्ति का विवरण इस प्रकार है:-

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	**विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति (पूंजीगत और राजस्व दोनों) पर व्यय**
2016-2017	30494
2017-2018	33413
2018-2019	42974
2019-2020	44618
2020-2021	50709

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा डीपीएसयू/ओएफबी और निजी कंपनियों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकार का मूल्य इस प्रकार दिया गया है:

	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
निर्यात प्राधिकार का मूल्य (करोड़ रू. में)	1521.91	4682.36	10745.77	9115.55	8434.84

*****